

प्रेषक,

शंभु शरण, मा.प्र.से.

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 02/09/2026

विषय:- राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 4,58,14,00,000/- (रूपये चार अरब अठावन करोड़ चौदह लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 3,05,42,66,667/- (रूपये तीन अरब पाँच करोड़ बियालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 7,63,56,66,667/- (रूपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-3089 दिनांक-21.08.2026 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवटनादेश के आलोक में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 4,58,14,00,000/- (रूपये चार अरब अठावन करोड़ चौदह लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 3,05,42,66,667/- (रूपये तीन अरब पाँच करोड़ बियालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 7,63,56,66,667/- (रूपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उक्त प्रसंग में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 4,58,14,00,000/- (रूपये चार अरब अठावन करोड़ चौदह लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 3,05,42,66,667/- (रूपये तीन अरब पाँच करोड़ बियालीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 7,63,56,66,667/- (रूपये सात अरब तिरसठ करोड़ छप्पन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

Details of Fund receivable from Govt.of India(2026-27)						
Sl. No.	Letter no.			Amount (Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G.27017/01/2026-27/NHM-F/FTS-8399926 dt.19.08 26	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	2102500000	1401666667	3504166667
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	1182000000	788000000	1970000000
			Total	3284500000	2189666667	5474166667
		SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	1006200000	670800000	1677000000
			3601-06-789-80-01-35(GBS)	224800000	149866667	374666667
			Total	1231000000	820666667	2051666667
		ST	3601-06-796-86-01-35(GBS)	29200000	19466667	48666667
			3601-06-796-86-05-35(GBS)	10300000	6866666	17166666
			Total	39500000	26333333	65833333
		PM-JANMAN	3601-06-796-86-04-31	1300000	866667	2166667
			3601-06-796-86-04-35	200000	133333	333333
			Total	1500000	1000000	2500000
		DA-JGUA	3601-06-796-86-05-31	22300000	14866667	37166667
			3601-06-796-86-05-35	2600000	1733333	4333333
			Total	24900000	16600000	41500000
			Total (General+Sc+ST+PMSSN+DA-JGUA)	4581400000	3054266667	7635666667

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय पत्राक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित रक्रीमो के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमो को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्राश एव राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।



5— वर्तमान में बजटीय उपबंध में उपलब्ध राशि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा—

क्र० सं०	विषय कोड	विषय शीर्ष	केन्द्रांश मद की राशि (रुपये में)	राज्यांश मद की राशि (रुपये में)	कुल
1	माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय -उप शीर्ष-0203- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विषय कोड -20-2210-03-110-0203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063	31-04- सहायक अनुदान- वेतन मद	1,80,25,00,000	1,20,16,66,667	3,00,41,66,667
		31-06- सहायक अनुदान- गैर वेतन मद	1,48,20,00,000	98,80,00,000	2,47,00,00,000
2	माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष-0201- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विषय कोड -20-2210-03-789-0201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063	31-04- सहायक अनुदान- वेतन मद	1,00,62,00,000	67,08,00,000	1,67,70,00,000
		31-06- सहायक अनुदान- गैर वेतन मद	22,48,00,000	14,98,66,667	37,46,66,667
3	माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र योजना -उप शीर्ष-0202- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन विषय कोड- 20-2210-03-796-0202, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063	31-04- सहायक अनुदान- वेतन मद	5,28,00,000	3,52,00,001	8,80,00,001
		31-06- सहायक अनुदान- गैर वेतन मद	1,31,00,000	87,33,332	2,18,33,332
	कुल राशि		4,58,14,00,000	3,05,42,66,667	7,63,56,66,667

6— इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल आदि Implementing Agency के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जाती है।

7— इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियां भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।



8— योजना अंतर्गत केन्द्रांश एव राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय “Just-In-Time” release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक—879, दिनांक—24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक—13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक—07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

9— ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि “Just-In-Time” पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:—

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR48NHM	01585501172	RBI

10— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र Form GFR12C में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

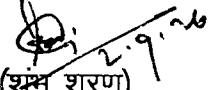
12— प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या—7/बजट—46—13/2021(खण्ड—2) के पृष्ठ—1,33 /टि0 पर प्राप्त है।

13— राशि की निकारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी।

14— राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15— यह सिर्फ राज्यादेश है। राशि का आवंटन CFMS के माध्यम से विमुक्त/ व्यय किये जाने से संबंधित आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—7/बजट—46—12/2021(खण्ड—2)— 315 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक—02/09/2026

प्रतिलिपि— योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

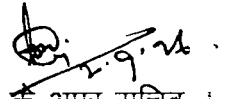
प्रतिलिपि— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी.विग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12/प्रशाखा के सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

315 (7A)
02/09/2026


सरकार के अपर सचिव।
/s/